राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3101/2024

लाखन सिंह **–अपीलार्थी**

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर।
4. उपवन संरक्षक, भरतपुर।
5. ओमप्रकाश कोली, क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम, रेंज बयाना, जिला भरतपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 14.10.2024
आदेश की दिनांक : 02.01.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी क्षेत्रीय वन अधिकारी ग्रेड प्रथम के पद पर बयाना उप वन संरक्षक, भरतपुर में पदस्थापित है। अपीलार्थी ने दिनांक 11.01.2024 से दिनांक 28.06.2024 तक करीब 43 अवैध खनन कर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुये विभाग द्वारा अवैध खनन कर्ताओं के खिलाफ रूपये 15,16,600/– जुर्माना राशि भी वसूल की गई तथा दिनांक 08.06.2024 को अपीलार्थी के द्वारा वन भूमि पर अवैध खनन में लगी क्रेन मशीन को

तथा डम्पर की जब्ती की कार्यवाही की गई, जिससे स्थानीय अवैध खनन कर्ता नाराज हो गये तथा राजनैतिक प्रभाव का इस्तेमाल करते हुये अपीलार्थी की झूठी शिकायतें जिला कलेक्टर को की गई, जिस पर जिला कलेक्टर ने अपीलार्थी को शिकायतों का निवारण करने हेतु रात्रि चौपाल में बुलाया गया। परंतु अपीलार्थी को कोई सूचना नहीं होने के कारण अपीलार्थी जिला कलेक्टर द्वारा जारी अन्य कार्य कर रहा था। अवैध खनन कर्ताओं की शिकायतों के आधार पर अपीलार्थी को दिनांक 28.06.2024 के आदेश के द्वारा जिला कलेक्टर, भरतपुर ने अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में पदस्थापन किया गया, जिसको अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 2174/2024 में चुनौती दी, जिसमें अधिकरण द्वारा दिनांक 04.07.2024 को स्थगन आदेश जारी किया गया तथा अपीलार्थी को यथावत कार्य करने के आदेश जारी किये गये। अपीलार्थी ने दिनांक 05.07.2024 को जैसे ही स्थगन आदेश की सूचना प्रत्यर्थी विभाग को दी तो प्रत्यर्थी संख्या 3 ने आलोच्य आदेश दिनांक 05.07.2024 के द्वारा न्यायालय के स्थगन आदेश प्रभावी होने के बावजूद अपीलार्थी के पद का चार्ज निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 ओम प्रकाश कोली को देने के आदेश जारी किये गये, जिसके विरूद्ध उक्त अपील प्रस्तुत करते हुये अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने कथन किया कि न्यायालय का स्थगन आदेश दिनांक 04.07.2024 प्रभावी होने के बावजूद कोर्ट ऑफ लॉ के खिलाफ जाकर प्रत्यर्थी संख्या 3 ने अपीलार्थी के पद का चार्ज निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 को विधि विरूद्ध जाकर दिया गया तथा आलोच्य आदेश में प्रत्यर्थी संख्या 3 ने लिखा है कि प्रबंध समिति पिदावली, बयाना, जिला भरतपुर एवं स्थानीय मजदूरों द्वारा उनके कार्य के एवज में भुगतान नहीं करने संबंधी शिकायत के आधार पर जांच की कार्यवाही अपेक्षित है। इसलिये अपीलार्थी का चार्ज निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 को देने के आदेश जारी किये गये। उक्त अपील में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर दिनांक 18.11.2024 को प्रत्यर्थी संख्या 3 मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर को स्वयं उपस्थित होने के आदेश जारी किये गये। उसके पश्चात् दिनांक 04.12.2024 को प्रत्यर्थी विभाग को प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किये गये, जिस पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 11.09.2024 को जो प्रारंभिक जांच की गई, उसमें अपीलार्थी के विरूद्ध की गई शिकायतों को झूठा व निराधार पाया गया। प्रत्यर्थी संख्या 3 के पास उक्त रिपोर्ट दिनांक 11.09.2024 को आने के बावजूद फिर

भी आलोच्य आदेश को वापिस नहीं लिया गया तथा आज तक बिना किसी कारण के अपीलार्थी का चार्ज निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 को दे रखा है। पूर्व में उप वन संरक्षक, भरतपुर ने दिनांक 02.07.2024 को जिला कलेक्टर, महोदय को रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया था कि अपीलार्थी के द्वारा अवैध खनन कर्ताओं के खिलाफ की गई कार्यवाही के कारण अवैध खननकर्ता अपीलार्थी को सबक सिखाने के आशय से झूठी व मनगढत शिकायतें की जा रही हैं तथा अवैध खननकर्ता काफी विरोधी हो गये हैं तथा अपीलार्थी के विरूद्ध दुरप्रचार कर माहौल तैयार कर रहे हैं। उक्त तथ्यों से यह साबित होता है कि अपीलार्थी के विरूद्ध अवैध खनन कर्ताओं ने राजनैतिक प्रभाव का इस्तेमाल करते हुये झूठी शिकायतें करवायी गई, जिसमें अपीलार्थी का दोष नहीं होने के बावजूद उक्त तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी का चार्ज निजी प्रत्यर्थी को देने के आदेश जारी किये जो अवैध एवं अनुचित तथा विधि विरूद्ध हैं।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा जारी आदेश दिनांक 05.07.2024 को निरस्त किया जावे तथा अपीलार्थी को क्षेत्रीय वन अधिकारी ग्रेड प्रथम रेंज बयाना का चार्ज अपीलार्थी के पास ही रखा जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी के विरूद्ध सुरक्षा एवं प्रबंध समिति पिदावाली, बयाना एवं स्थानीय मजदूर क्रमशः राजेन्द्र सिंह एवं अन्य द्वारा कार्य के बदले भुगतान नहीं करने के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई। जिस पर रेंज बयाना का विकास कार्यों एवं वित्त कार्यों का सुचारू संचालन की व्यवस्था हेतु आलोच्य आदेश के द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 को अपीलार्थी का चार्ज दिया गया है तथा राज्य सरकार किसी भी कर्मचारी को राज्य हित में किसी भी स्थान पर पदस्थापित कर सकती है तथा प्रत्यर्थी विभाग ने जवाब के साथ में प्रदर्श–3 स्वयं ने ही प्रस्तुत किया है, जिसमें अध्यक्ष वन सुरक्षा एवं प्रबंध समिति पिदावली के हस्ताक्षर मौजूद हैं, जिसने दिनांक 02.07.2024 को प्रत्यर्थी विभाग को यह लिखकर दिया है कि अपीलार्थी के विरूद्ध अवैध खनन माफिओं द्वारा जो आरोप लगाये गये हैं, वो निराधार अनऔचित्यपूर्ण हैं तथा अपीलार्थी की छवि को धूमिल करने के प्रयास हैं। अपीलार्थी द्वारा सभी मजदूरों को समय पर वेतन का भुगतान किया गया है। उक्त

तथ्यों के बावजूद प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी की अपील को निरस्त किये जाने का निवेदन किया। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन क्षेत्रीय वन अधिकारी ग्रेड प्रथम के पद पर बयाना उप वन संरक्षक, भरतपुर में पदस्थापित है। अपीलार्थी ने दिनांक 11.01.2024 से दिनांक 28.06.2024 तक करीब 43 अवैध खनन कर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुये विभाग द्वारा अवैध खनन कर्ताओं के खिलाफ रूपये 15,16,600/– जुर्माना राशि भी वसूल की गई तथा दिनांक 08.06.2024 को अपीलार्थी के द्वारा वन भूमि पर अवैध खनन में लगी क्रेन मशीन को तथा डम्पर की जब्ती की कार्यवाही की गई, जिससे स्थानीय अवैध खनन कर्ता नाराज हो गये तथा राजनैतिक प्रभाव का इस्तेमाल करते हुये अपीलार्थी की झूठी शिकायतें जिला कलेक्टर को की गई, जिस पर जिला कलेक्टर ने अपीलार्थी की शिकायतों का निवारण करने हेतु रात्रि चौपाल में बुलाया गया। परंतु अपीलार्थी को कोई सूचना नहीं होने के कारण अपीलार्थी जिला कलेक्टर द्वारा जारी अन्य कार्य कर रहा था। अवैध खनन कर्ताओं की शिकायतों के आधार पर अपीलार्थी को दिनांक 28.06.2024 के आदेश के द्वारा जिला कलेक्टर, भरतपुर ने अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में पदस्थापन किया गया, जिसको अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 2174/2024 में चुनौती दी, जिसमें अधिकरण द्वारा दिनांक 04.07.2024 को स्थगन आदेश जारी किया गया तथा अपीलार्थी को यथावत कार्य करने के आदेश जारी किये गये। अपीलार्थी ने दिनांक 05.07.2024 को जैसे ही स्थगन आदेश की सूचना प्रत्यर्थी विभाग को दी तो प्रत्यर्थी संख्या 3 ने आलोच्य आदेश दिनांक 05.07.2024 के द्वारा न्यायालय के स्थगन आदेश प्रभावी होने के बावजूद अपीलार्थी के पद का चार्ज निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 ओम प्रकाश कोली को देने के आदेश जारी किये गये। अपीलार्थी के संबंध में अधिकरण द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 04.07.2024 प्रभावी होने के बावजूद कोर्ट ऑफ लॉ के खिलाफ जाकर प्रत्यर्थी संख्या 3 ने अपीलार्थी के पद का चार्ज निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 को विधि विरूद्ध जाकर दिया गया तथा आलोच्य आदेश में प्रत्यर्थी संख्या 3 ने लिखा है कि प्रबंध समिति पिदावली, बयाना, जिला भरतपुर एवं

स्थानीय मजदूरों द्वारा उनके कार्य के एवज में भुगतान नहीं करने संबंधी शिकायत के आधार पर जांच की कार्यवाही अपेक्षित है। प्रत्यर्थी विभाग ने जवाब के साथ में प्रदर्श–3 स्वयं ने ही दस्तावेज प्रस्तुत किया है, जिसमें अध्यक्ष वन सुरक्षा एवं प्रबंध समिति पिदावली के हस्ताक्षर मौजूद हैं, जिसने दिनांक 02.07.2024 को प्रत्यर्थी विभाग को यह लिखकर दिया है कि अपीलार्थी के विरूद्ध अवैध खनन माफिओं द्वारा जो आरोप लगाये गये हैं, वो निराधार अनऔचित्यपूर्ण हैं तथा अपीलार्थी की छवि को धूमिल करने के प्रयास हैं। अपीलार्थी द्वारा सभी मजदूरों को समय पर वेतन का भुगतान किया गया है तथा प्रारंभिक जांच रिपोर्ट दिनांक 11.09.2024 को जो प्रारंभिक जांच की गई, उसमें अपीलार्थी के विरूद्ध की गई शिकायतों को झूठा व निराधार पाया गया। प्रत्यर्थी संख्या 3 के पास उक्त रिपोर्ट दिनांक 11.09.2024 को आने के बावजूद फिर भी आलोच्य आदेश को वापिस नहीं लिया गया तथा आज तक बिना किसी कारण के अपीलार्थी का चार्ज निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 को दे रखा है, जो किसी प्रकार से न्यायसंगत नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय ने एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 12930/2023 हरसुखराम विश्नोई बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान प्रदर्श–9 में यह निर्धारित किया है कि अवैध खनन कर्ताओं के खिलाफ की गई कार्यवाही के कारण कार्मिक का स्थानान्तरण करना व चार्ज किसी अन्य कार्मिक को देना मनमाना व पक्षपातीपूर्ण है। अपीलार्थी के विरूद्ध प्राथमिक जांच में भी किसी प्रकार का कोई दोष साबित नहीं हुआ है तथा उप वन संरक्षक, भरतपुर के द्वारा जो जिला कलेक्टर, भरतपुर को दिनांक 02.07.2024 को पत्र लिखा गया है उससे भी यह साबित होता है कि अपीलार्थी को अवैध खनन कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही करने के कारण खनन माफियाओं द्वारा झूठा दुरप्रचार किया जा रहा है। प्रत्यर्थी संख्या 3 ने उक्त समस्त तथ्यों पर बिना विचार किये आलोच्य आदेश के द्वारा अपीलार्थी का चार्ज निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 को देने के आदेश जारी किये हैं, जो किसी भी प्रकार से न्यायोचित नहीं है। उक्त तथ्यों से यह साबित होता है कि अपीलार्थी के विरूद्ध अवैध खनन कर्ताओं ने राजनैतिक प्रभाव का इस्तेमाल करते हुये झूठी शिकायतें करवायी गई, जिसमें अपीलार्थी का दोष नहीं होने के बावजूद उक्त तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी का चार्ज निजी प्रत्यर्थी को देने के आदेश जारी किये जो अवैध एवं अनुचित तथा विधि विरूद्ध हैं। इसलिये उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 05.07.2024 (प्रदर्श–1) को अपास्त किया जाता है तथा प्रत्यर्थीगण को यह निर्देश दिये जाते हैं कि रेंज बयाना का चार्ज विकास कार्यों एवं वित्तीय कार्यों का प्रभार अपीलार्थी के पास ही रखा जावे। उक्त निर्देशों के साथ अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 2174/2024 में जारी स्थगन आदेश दिनांक 04.07.2024 की पालना के संबंध में प्रस्तुत किया गया अवमानना प्रार्थना पत्र संख्या 248/2024 का उपरोक्त वर्तमान प्रकरण के साथ अंतिम रूप से निस्तारित किया जाता है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष